IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

लोकतांत्रिक शासन एवं सूचना का अधिकारः—बिहार राज्य के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Prof.(Dr.) Deepti Kumari(Professor)&

Bhim Singh Chandnel(Junior Research Fellow)

Deptt. of Political Science,Patna University,Patna

शोध सार

सूचना का अधिकार हर इंसान का बुनियादी मानवाधिकार है। दार्शनिक फ्रेंच मिशेल फोलेट ने एक बार कहा था कि, ''शक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है और सूचना ज्ञान का बुनियादी घटक है।'' सूचना मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है और आधुनिकता से सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करें। भारतीय सरकार को जवाबदेय, जिम्मेदार, कुशल, पारदर्शी, बनाने के लिए भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 पारित किया।

सूचना प्रत्येक मनुष्य का एक अविभाज्य और प्राकृतिक अधिकार है। एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में जनमत रखने का अधिकार, सार्वजनिक प्रधिकरणो से जानकारी प्राप्त करना भी शामिल है। उपयुक्त सूचना नागरिक को सभ्य समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। इसके अलावा सूचना का अधिकार व सुशासन के बीच घनिष्ठ संबंध है। सूचना का अधिकार सरकारी प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जनता सरकार का प्रतिनिधि स्वरूप एकमात्र अंग है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन में यह जरूरी है, कि हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि सरकारी गतिविधियों के कामकाज की व्यवहारिक व्यवस्था क्या है? यह शोध पत्र लोकतांत्रिक शासन में सूचना के अधिकार अधिनियम के मूल दिशानिर्देशों के साथ, सूचना के अधिकार और सुशासन के बीच के संबंधों व सूचना के अधिकार अधिनियम के सफल संचालन के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशों की चर्चा करता है।

कीवर्ड— सूचना का अधिकार, लोकतांत्रिक शासन, सुशासन, प्रशासन, सार्वजनिक प्रधिकरण।

परिचयः–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन ने एक नए युग की शुरुआत की है जो हमें सहभागी लोकतंत्र के विकास की ओर अग्रसर करता है। इसने जन–उत्साही व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, बुद्धिजीवियों के बीच बहस की एक श्रृंखला को जन्म दिया है। सूचना का अधिकार ,भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 19 (1) (a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित सूचना के अधिकार का आधार माना जाता है। वास्तविक रूप में लोकतंत्र के लिए जनता को एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब्राहम लिंकन ने अपने प्रसिद्ध गेट्सबर्ग संबोधन में कहा था कि ''लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा सरकार है''। इस संबंध में डॉ. अम्बेडकर ने लोकसभा में संविधान सभा की बहस के दौरान कहा कि लोकत्रांत्रिक शासन जनता की और जनता के लिए, इस अवधारणा से जनता तंग आ चुकी है और वे वास्तव में जनता द्वारा सरकार चाहते हैं। इस धारणा को केवल एक जागरूक नागरिक ही अमल में ला सकता है।

लोकतंत्र की वैचारिक जड़ें मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 23 और 25 और भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 4 में निहित हैं। इस संबंध में, सूचना का अधिकार वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में प्रतिष्ठापित संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है। संविधान के भीतर इसके व्युत्पन्न और निहित अस्तित्व के कारण इस अधिकार का स्पष्ट प्रयोग संभव नहीं था। इसने नागरिकों को उनके लिए उपलब्ध अधिकार का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता को सुविधाजनक बनाया। इसलिए नागरिकों को अधिकार के रूप में जानकारी प्रदान करने की संस्कृति और सूचना के अधिकार के लिए एक वातावरण बनाने के लिए एक विशिष्ट कानून की तत्काल आवश्यकता थी।

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास सूचना तक पहुंच 2005 तक संभव नहीं थी। जानकारी की कमी ने एक व्यक्ति को अपनी सामाजिक–आर्थिक आकांक्षाओं को महसूस करने से रोक दिया, क्योंकि उसके पास बहस में भाग लेने या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं था, भले ही इससे उसे नुकसान हो रहा हो। आधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 ने सब कुछ गुप्त रखने वाले औपनिवेशिक शासन के अवशेष के रूप में कार्य किया। आम लोगों को सार्वजनिक नीतियों और खर्चों के बारे में जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह काफी विडम्बनापूर्ण बात थी कि जिन लोगों ने सत्ता में नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को वोट दिया और सार्वजनिक गतिविधियों की भारी लागत के वित्तपोषण में योगदान दिया, उन्हें उससे संबंधित प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया।

गोपनीयता की इस संस्कृति के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का विपुल विकास हुआ। सार्वजनिक प्राधिकरणों की गैर–जवाबदेही और सरकार के कामकाज में खुलेपन की कमी के कारण, सत्ता का दुरुपयोग और जनता के पैसे का बेईमानी से उपयोग करना आम बात थी। सार्वजनिक और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की मांग को सरकार ने आरटीआई अधिनियम 2005 को लागू करके स्वीकार कर लिया।

भारत में सूचना के अधिकार को सुविधाजनक बनाने वाले संवैधानिक प्रावधानः–

मौलिक अधिकारों को आधुनिक संवैधानिक दस्तावेजों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार चार्टर में लागू करने योग्य अधिकारों के रूप में शामिल करना, प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से उपजा है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय, स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के लोगों से वादा किया था कि वे संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों के रूप में प्राकृतिक अधिकार प्रदान करेंगे, जो कि भारत के लोगों के लिए संविधान है। ये मौलिक अधिकार 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों के समान हैं। इस संदर्भ में, चेयरमैन रेलवे बोर्ड चेयरमैन रेलवे बोर्ड चेयरमैन रेलवे बोर्ड चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ''मानव अधिकारों और उसके सिद्धांतों की सार्वभौमिक घोषणा को लागू करना पड़ सकता है। यह उन घटनाओं का पता लगाता है जिनके कारण 2005 का अधिनियम पारित हुआ।'' जिसने हमारे देश के नागरिकों को शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित

करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान किया। अधिकार वे हित हैं जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हैं। किसी देश के संविधान द्वारा अपनाने से अधिकार की पवित्रता बढ़ती है। भारतीय एक ऐसे संदर्भ में जहां सदियों से आम लोगों की उपेक्षा की गई है, संवैधानिक सिद्धांत ही एकमात्र आशा है जो सभी प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकती है। जनसाधारण को ज्ञानवान बनाकर उन्हें सशक्त बनाने में सूचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में, सूचना तक पहुंच एक बोझिल काम है, जिसे अधिकांश कम शिक्षित और अनपढ़ नागरिकों को अपने अधिकारों से अनजान रहते हुए पूरा करना होता है। लालफीताशाही और नौकरशाही का दबदबा लोगों को सशक्त बनाने में झिझक रहा है। इसके अलावा, औपनिवेशिक विरासत, जो गोपनीयता की नीति से परिपूर्ण थी, अभी भी व्यवस्था को सताती है। यहाँ भारत का संविधान भाग प्प् में आम जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करके उनकी रक्षा करता है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना आसान नहीं है, इसी तरह, आरटीआई अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक अधिकार है।

विभिन्न विधान जो गोपनीयता की अनुमति देते हैंः–

- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 11
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124
- मंत्रिपरिषद की गोपनीयता बनाए रखने की सलाह
- न्यायालयों से दस्तावेजों को वापस लेने का विशेषाधिकार
- संविधान के तहत शपथ
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
- जांच आयोग अधिनियम, 1952
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 52 में कहा गया है कि किसी भी उद्यम से संबंधित जानकारी, जो एक ऐसी जानकारी है जो आयोग द्वारा या उसकी ओर से लिखित में पूर्व अनुमति के बिना प्राप्त की गई है, का खुलासा नहीं किया जाएगा, ऐसी तकनीकों के उदाहरण हैं।

भारत में सूचना के अधिकार के लिए आंदोलनः–

यह सच है कि जहां आम जनता आरटीआई के महत्व से अवगत है, वहीं राजनीतिक दबदबे वाले लोग अधिकार को व्यावहारिक कानूनी वास्तविकता में बदलने में हिचक रहे हैं। यह सब 1990 में शुरू हुआ जब राजस्थान के देवडुंगरी में किसानों और मजदूरों का एक समूह मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) का गठन किया गया। समूह के सदस्य राज्य रोजगार सृजन योजना के लिए काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें गारंटीकृत न्यूनतम मजदूरी से काफी कम भुगतान किया जा रहा था। उन्हें अपने कानूनी अधिकार की मांग करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में उन्हें जवाब मिला कि आधिकारिक दस्तावेज उनके द्वारा किए जाने वाले काम के अनुरूप नहीं हैं। इस तरह के आधिकारिक दस्तावेज नौकरशाही की 'गोपनीयता' की दीवारों में लिपटे हुए थे जो कि उन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध नहीं थे जिनसे वे संबंधित थे। हालाँकि, सहानुभूति रखने वाले अधिकारी के कुछ सुराग बड़ी विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। इन विसंगतियों से निपटने के लिए लोगों को इस उद्देश्य के लिए सीधे और आसानी से संवेदनशील बनाने के लिए कुछ अनूठे साधनों की आवश्यकता थीय एमकेएसएस ने ग्राम आधारित जन सुनवाई के माध्यम से सार्वजनिक सुनवाई के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट जानकारी को रखने के साधन को अपनाया। आंदोलन में आरटीआई की शुरुआत के साथ प्रवेश हुआ, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि गोपनीयता ने भ्रष्ट अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी और गरीबों के अन्य अधिकार छीनने में सक्षम बनाया। इस प्रकार आरटीआई की मांग करने वाले एक आंदोलन का जन्म हुआ।

आरटीआई के लिए आंदोलनों को अलग–थलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता है। वे लोकतंत्र को वास्तविक और कार्यात्मक बनाने के आंदोलन में व्याप्त हैं। काम के अधिकार, अकाल राहत पाने के अधिकार या न्यूनतम मजदूरी पाने के अधिकार के रूप में आरटीआई मांगी गई थी। गोपनीयता और राष्ट्रीय हित कुछ ऐसे बहाने थे जो सत्ता

में बैठे लोगों द्वारा जनता की पहुंच से बाहर रखी गई जानकारी को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इसलिए जवाबदेही की कमी और खुली सरकार के सामने भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा था। खुली सरकार के महत्व को भगवती, जे ने निम्नलिखित शब्दों में देखाः ''खुली सरकार खुली सरकार की नई लोकतांत्रिक संस्कृति है। जिस समाज की ओर हर उदार लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और हमारा देश कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।

भारत में सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमिः–

- 1975: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नियम दिया कि भारत के लोगों को जानने का अधिकार है।
- 1982: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- 1985: भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन, पर्यावरणीय खतरों से संबंधित जानकारी तक पहुंच की मांग करना।
- 1989: नई गठबंधन सरकार द्वारा एक पारदर्शिता कानून लाने का चुनावी वादा। 1990: पारदर्शिता कानून पेश किए जाने से पहले ही सरकार गिर गई।
- 1990: राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन का गठन और शुभारंभ ग्राम स्तर की जानकारी की मांग को लेकर आंदोलन शुभारंभ
- 1996: लोगों के सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई) का गठन। 1996: एनसीपीआरआई और अन्य समूहों और आंदोलनों द्वारा मसौदा आरटीआई बिल तैयार किया गया और सरकार को भेजा गया भारतीय प्रेस परिषद का समर्थन। 1997: सरकार ने मसौदा विधेयक को एचडी शौरी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के पास भेजा। 1997: शौरी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
- 1999: एक कैबिनेट मंत्री ने अपने मंत्रालय में सूचना तक पहुंच की अनुमति दी। पीएम ने आदेश उलट दिया। 2000: आरटीआई को संस्थागत बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया गया। 2000: शौरी समिति की रिपोर्ट एक संसदीय समिति को भेजी गई।
- 2001: संसदीय समिति ने अपनी सिफारिशें दीं 2002: सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया. 2002: सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। 2003: राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, लेकिन कभी अधिसूचित नहीं किया गया।
- 2004: राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा की गई, और आरटीआई अधिनियम के 'मजबूत करने' को घोषणापत्र में शामिल किया गया कांग्रेस पार्टी।
- मई 2004: कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन सरकार के हिस्से के रूप में सत्ता में आई, और यूपीए एक 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' तैयार करता है जो फिर से आरटीआई पर जोर देता है। जून 2004: सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की स्थापना की।
- अगस्त 2004: एनसीपीआरआई ने एनएसी को एक मसौदा बिल भेजा, जिसे कई लोगों के परामर्श से तैयार किया गया समूह और आंदोलन। एनएसी इसके साथ थोड़ा संशोधित संस्करण पर चर्चा करता है और आगे बढ़ाता है सरकार को सिफारिशें।
- दिसंबर 2004: आरटीआई बिल संसद में पेश किया गया और तुरंत एक संसदीय समिति को भेजा गया। हालांकि, बिल केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है।
- जनवरी–अप्रैल 2005: संसदीय समिति,विधेयक ,मंत्रियों और संसद के समूह द्वारा विचार किया गया और एक संशोधित विधेयक, जिसमें केंद्र सरकारों और राज्य को शामिल किया गया है।
- मई 2005: आरटीआई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। जून 2005: आरटीआई विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।
- अक्टूबर 2005: आरटीआई अधिनियम लागू हुआ।

निष्कर्षः–

मेनका गांधी बनाम भारत संघ, न्यायमूर्ति वी कृष्ण अय्यर ने कहा कि ''एक सरकार जो गुप्त रूप से काम करती है वह न केवल लोकतांत्रिक शालीनता के खिलाफ काम करती है, बल्कि खुद को दफन कर देती है।'' एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। यह भागीदारी तब तक व्यर्थ है जब तक कि नागरिकों को उन सभी मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से सूचित नहीं किया जाता है जिनके संबंध में उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। एक तरफा सूचना, दुष्प्रचार, गलत सूचना और गैर–सूचना सभी समान रूप से बेखबर नागरिकता का निर्माण करते हैं जो लोकतंत्र को एक तमाशा बनाता है, जब सूचना के माध्यम पर या तो एक पक्षपातपूर्ण केंद्रीय प्राधिकरण या निजी व्यक्तियों या कुलीन संगठनों द्वारा एकाधिकार कर लिया जाता है। इसलिए इस एकाधिकार से बचने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि वह देश की जनता को जानकारी दे क्योंकि सरकार जनता का विश्वास है। इस संदर्भ में, हेनरी क्ले ने ठीक ही देखा कि ''सरकार एक ट्रस्ट है और सरकार के अधिकारी ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट और ट्रस्टी दोनों लोगों के लाभ के लिए बनाए गए हैं।'' प्रत्येक लोकतंत्र में नागरिक को सूचित करना और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारों और उनके उपकरणों को शासित के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने और प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई आंतरिक अधिकार है। कोई भी लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता जहां उनके नागरिक सरकारी कामकाज, नौकरशाहों और राज्य की ओर से कार्य करने वाले अन्य पदाधिकारियों के प्रदर्शन का लेखा–जोखा नहीं कर सकते। सरकार के प्रदर्शन का ऑडिट करने के लिए, लोगों को इसकी नीति, कार्यों और विफलताओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित करना होगा।

संदर्भ सूची –

1.कश्यप सुभाष, हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नई दिल्ली, 1995.

2.जौहरी जे.एस. भारतीय राजनीति,एस.पी.डी . पब्लिकेशन हाउस साहित्य आगरा, 2009.

3.राजगढ़िया विष्णु एवं केजरीवाल अरविंद, सूचना का अधिकार, राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली, 2007.

4.कुमार प्रकाश व राय बी के, सूचना का अधिकार, प्रभाव पब्लिकेशन

5.Shilpa (2013). Right to Information Act : A tool to strengthen good governance and tackling corruption; International journal of Humanity and Social Science Invention ; Vol. 2, Issue 2, Feb. 2013.

6.S. L.Goel, Right to Information and Good Governance, Deep and Deep Publications Private Limited, New Delhi (2007).

7.S. D. Sharma and Priti Saxena, Right to Information – Implementation, Problems and Solutions, Regal Publications, New Delhi (2013).

8.V. K.Puri , Right to Information – One should know, Nabhi Publications, New Delhi (2006).

9.A. Kumar Arya, "An Overview of the Right to Information Act, 2005", Supreme Court Journal (2009), Page 42.